


राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2013/397

दिनांक:- 19/6/13


शुद्धि पत्र

कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2013/34 दिनांक 05.04.2013 में आंशिक संशोधन किया जाकर बालोतरा के आवास संख्या 4/70 अल्प आय वर्ग के स्थान पर 4/200 EWS एवं 3/157 अल्प आय वर्ग के स्थान पर 3/157 EWS पढा जावें।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

**प्रतिलिपि :-**

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक सचिव/वितीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
- ✓ 7. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेब साईट पर डलवायें व सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ताओं को ई-मेल करवायें।
8. आवासीय अभियन्ता खण्ड-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक